भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHARAT ELECTRONICS LIMITED
कार्पोरेट कार्यालय CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन प्रभाग HUMAN RESOURCES DIVISION

सं. No.17556/821/CO-HR **दिनांक / Date: 30.03.2023**

विषय - बीईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (बीईआरईसीएचएस) - संबंधी
Sub: BEL Retired Employees Contributory Health Scheme (BERECHS) – reg.
संदर्भ - परिपत्र सं. 17556/821/सीओ-एचआर दिनांक 22.03.2022 (यथा संशोधित)
Ref: Circular No. 17556/821/CO-HR dated 22.03.2022 (as amended).

-o0o-

1.0 बीईआरईसीएच योजना की समीक्षा की गई और ऊपर संदर्भित परिपत्र द्वारा परिशोधित योजना अधिसूचित की गई थी।
The BERECH Scheme was reviewed and revised scheme was notified vide Circular referred above.

2.0 विद्यमान योजना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं -
The following changes have been made to the existing scheme:

a) अंत:रोगी उपचार / **Inpatient Treatment**

बीईएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ग्रूप मेडीक्लेम पालिसी दिनांक **01.04.2023 से 31.03.2024** तक एक वर्ष की अवधि के लिए **मे. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.** को दी गई थी। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और अस्पताल में भर्ती होने संबंधी दावों के निपटान के लिए तृतीय पक्षकार संचालक यानी **मे. मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि.** की सेवाएं प्राप्त की गई हैं।
The Group Mediclaim Policy for Hospitalization of BEL Retired Employees has been awarded to **M/s. United India Insurance Company Ltd.** for a period of One year **from 01.04.2023 to 31.03.2024.** The services of a Third Party Administrator viz. **M/s. Medi Assist Insurance TPA Pvt. Ltd.** has been engaged for providing necessary service and settling hospitalization claims.

दिनांक **01.04.2023** से प्रभावी बीमा के तहत अंत:रोगी कवरेज इस प्रकार होगा -
The Inpatient coverage under Insurance **w.e.f 01.04.2023** will be as follows:

वर्ग Category	श्रेणी Grade	मूल बीमा कवरेज राशि (संयुक्त कवरेज) रु. में Basic Insurance Coverage amount (Joint coverage) in Rs	कार्पोरेट बफर (राशि रु. में) Corporate Buffer (Amount in Rs)	
			जटिल Critical	गैर-जटिल Non Critical
IA	CMD and Directors	8,00,000	8,00,000	2,00,000
I	E-VII to E-IX	8,00,000	8,00,000	50,000
IIA	E-V to E-VIA	6,50,000	6,50,000	50,000
II	E-I to E-IV and all TC personnel	5,00,000	5,00,000	50,000
III	Non-Executives	3,50,000	3,50,000	50,000

एकल सदस्य, यानी केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी या उनकी पत्नी या पति के मामले में, कवरेज की राशि (कार्पोरेट बफर सहित) उक्त राशि की 75% होगी।
In case of Single Member i.e. only retiree or spouse, the coverage amount (including Corporate Buffer) will be 75% of the above amount.

कार्पोरेट बफर तभी देय होगा जब बीमाकृत व्यक्ति / परिवार ने बीमाकृत मूल राशि का उपयोग कर लिया हो। कार्पोरेट बफर की राशि निम्नानुसार जटिल और गैर-जटिल दोनों बीमारियों के लिए उपलब्ध होगी-
Corporate Buffer becomes payable only after insured person / family has exhausted the basic sum insured. Corporate Buffer amount will be available for both Critical and Non-Critical ailments as follows:

i. **जटिल बफर –** में विशिष्ट बीमारियों का अंत:रोगी उपचार शामिल होगा जैसे हृदय संबंधी व्याधि, कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, न्यूरोलाजिकल बीमारियों और जोड़ प्रतिस्थापन चिकित्सा।
Critical Buffer – will cover Inpatient treatment for specific diseases viz. Heart Ailment, Cancer, Kidney Transplantation, Neurological Disorders and Joint Replacement Therapy.
ii. **गैर-जटिल बफर** – में उक्त (i) सहित अंत:रोगी उपचार शामिल होगा।
Non Critical Buffer – will cover Inpatient treatment including (i) above.

कार्पोरेट बफर का उपयोग करने की प्राथमिकता पहले गैर-जटिल बफर और उसके बाद जटिल बफर के लिए होगी।
The priority for utilization of Corporate Buffer will be first towards Non Critical Buffer followed by Critical Buffer.

अप्रैल 2023 माह से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा देय एकबारगी अंशदान राशि इस प्रकार होगी-
The Onetime Contribution amount to be payable by Employees who will be retiring from the month of **April 2023** will be as follows:

वर्ग **Category**	श्रेणी **Grade**	**मूल बीमा कवरेज राशि (संयुक्त कवरेज) रु. में Basic Insurance Coverage amount (Joint coverage) in Rs.**	**एकबारगी अंशदान राशि (रु.में) Onetime Contribution Amount (in Rs.)**
IA	CMD and Directors	8,00,000	50,000
I	E-VII to E-IX	8,00,000	47,500
IIA	E-V to E-VIA	6,50,000	45,000
II	E-I to E-IV and all TC personnel	5,00,000	32,000
III	Non-Executives	3,50,000	22,500

b) <u>बाह्यरोगी उपचार</u> / **<u>Outpatient Treatment</u>**

i. **01.04.2023 से 31.03.2025** तक की अवधि के लिए, बीईआरईसीएच योजना के सदस्य **अपोलो फार्मेसी की दुकानों** से दवाइयां खरीद सकते हैं। इस अवधि के दौरान, सदस्य अपोलो फार्मेसी की दुकान में दवाइयों की लागत का 10% का भुगतान करते हुए (एमआरपी पर सहमत 18.75% के डिस्काउंट के बाद) परिवार (यानी सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनकी पत्नी या पति) के मामले में **रु. 40,000 प्रति वर्ष** तक और (एकल सदस्य के मामले में) **रु. 30,000 प्रति वर्ष** तक की दवाइयां खरीद करने के पात्र होंगे।
For the period from **01.04.2023 to 31.03.2025,** Members of the BERECH scheme can purchase medicines from **Apollo Pharmacy outlets**. During this period, members will be eligible to purchase medicines to the extent of **Rs. 40,000 per annum** in case of family (i.e. retiree and spouse) and to the extent of **Rs. 30,000 per annum** (in case of single member) by paying 10% of the cost of medicines (after allowing agreed discount of 18.75% on MRP) at Apollo Pharmacy Outlets.

..3/-

ii. संबंधित स्थान यानी (उस राज्य में जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी / उनकी पत्नी या पति सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं) में पात्रता के अनुसार अपोलो फार्मेसी की दुकान से दवाइयां खरीदी जा सकती हैं। सन स्क्रीन लोशन, मोइश्चराइज़र लोशन / क्रीम, साबुन (मेडिकेटेड / एंटीफंगल), मेडिकेटेड शैम्पू, डेंटल टूथपेस्ट, प्रोटीन / न्यूट्रीशन सप्लीमेंट पावडर, लैक्सेटिव पावडर, कॉस्मेटिक सामान बीईआरईसीएच योजना के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।
Medicines can be purchased from Apollo outlets as per eligibility at respective location i.e. (within the State in which the retiree / spouse is registered as a member). Items like Sun Screen lotions, Moisturizer Lotion / Creams, Soaps (medicated / antifungal), Medicated Shampoos, Dental toothpaste, Protein / Nutrition Supplement Powders, Laxative Powders, Cosmetic items are not admissible under the BERECH scheme.

iii. बीईआरईसीएच योजना के अनुसार, सदस्य फार्मेसी से ऐसी दवाइयां भी खरीद सकते हैं जो आपात स्थिति में आवश्यक हैं और 10% का सह-भुगतान करते हुए परिवार (यानी सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनकी पत्नी या पति) के मामले में रु. 10,000 प्रति वर्ष तक और (एकल सदस्य के मामले में) रु. 7,500 प्रति वर्ष तक के दावे की प्रतिपूर्ति बीईएल से कर सकते हैं।
As per the BERECH Scheme, members can also purchase medicines which may be required on emergency from any Pharmacy and claim reimbursement from BEL to the extent of Rs 10,000 per annum in case of family (i.e. retiree and spouse) and to the extent of Rs 7,500 per annum (in case of single member) with a copay of 10%.

iv. इसके अलावा, परामर्श, लैब टेस्ट और डेंटल उपचार (योजना के प्रावधान के अनुसार) के दावों पर परिवार (यानी सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनकी पत्नी या पति) के मामले में रु. 25,000 प्रति वर्ष और (एकल सदस्य के मामले में) रु. 18,750 प्रति वर्ष की वार्षिक सीमा के भीतर विचार किया जाएगा। यह दावा संबंधित यूनिट (बें.कॉ. के मामले में बीईएल अस्पताल) को प्रस्तुत किया जाएगा और स्वीकार्यता पर निर्भर करते हुए, दावा राशि के 90% की दर पर (10% सह-भुगतान राशि) दावे पर विचार किया जाएगा।
Further, claims towards Consultation, Lab Tests and Dental treatment (as per the provision of the scheme) will be considered within an annual ceiling of Rs 25,000 per annum in case of family (i.e. retiree and spouse) and to the extent of Rs 18,750 per annum (in case of single member). The claim has to be submitted to concerned Unit (BEL hospital in case of BG CX) and claim will be considered, subject to admissibility, at the rate of 90% (10% being Copay amount) of the claim amount.

v. यदि सदस्य ने परामर्श, लैब टेस्ट और डेंटल उपचार के लिए रु. 25,000 / रु. 18,750 से अधिक राशि का दावा किया है तो रु. 10,000 / रु. 7,500 (यानी आपात दवाइयों के तहत पात्रता के अनुसार) की अधिकतम सीमा में प्रतिपूर्ति पर विचार किया जा सकता है, यदि सदस्य ने उक्त राशि का उपयोग न किया हो।
In case a member has claims in excess of Rs 25,000 / Rs 18,750 towards Consultation, Lab Tests and Dental treatment, the same can be considered for reimbursement to a maximum limit of Rs 10,000 / Rs 7,500 (i.e. as per the eligibility under Emergency Medicines) if the same is not utilized by the member.

3.0 बीईआरईसीएचएस की सदस्यता के अंतरण (यानी वर्तमान में योजना के तहत सदस्यता की पूरी अवधि के दौरान दो बार तक सीमित) के प्रावधान की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि, ऐसे मामलों की समीक्षा वित्तीय वर्ष की शुरुआत में की जाएगी।
The provision of transfer of BERECHS membership (i.e. currently limited to twice during the entire duration of membership under the scheme) has been reviewed and it has been decided that there shall be no such restriction. However, such cases will be processed at the beginning of the financial year.

..4/-

4.0 यूनिट / कार्यालय मे. अपोलो फार्मेसी से प्राप्त बिलों (उक्त बी(i)के अनुसार) पर कार्रवाई करेंगे और योजना के प्रावधानों के अनुसार 01.04.2023 से एसएपी (टी कोड- zremp) के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करेंगे। इसका प्रयोक्ता मैनुअल अलग से साझा किया जाएगा।
Units / Offices shall process the bills received from M/s Apollo Pharmacy (as per b(i)above) and ensure payment through SAP(T code – zremp) w.e.f 01.04.2023, as per the provisions of the scheme. The User manual for the same will be shared separately.

5.0 इसके अलावा, सदस्यों को विशेष सहायता प्रदान करने तथा दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एक केंद्रीकृत बीईआरईसीएचएस प्रकोष्ठ स्थापित करने की व्यवहार्यता पता लगाया जा रहा है।
Further, the feasibility of establishing a Centralized BERECHS Cell for providing dedicated assistance to members and facility of online claim submission is being explored.

6.0 उपर्युक्त परिपत्र (यथा संशोधित) में शामिल अन्य निबंधन व शर्तें अपरिवर्तित बने रहेंगे। सभी यूनिटें / कार्यालय इसे नोट करें और सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन / योजना के सदस्यों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
All other terms and conditions contained in the above referred Circular (as amended) remain unaltered. All Units / Offices may note the above and widely disseminate the same to the Retiree Association / Members of the scheme.

महाप्रबंधक (एच.आर.)
GENERAL MANAGER (HR)

ई.डी./जी.एम./सी.टी.ओ./सी.एस.	**EDs/ GMs/ CTOs/ CS**
यूनिट एच.आर./ वित्त प्रमुख	**UNIT HR / FINANCE HEADS**
आर.ओ. / एम.सी. प्रमुख	**RO / MC HEADS**

सीएमडी	डी(बीसी)	डी (ओयू)	डी (आर एंड डी)	डी (एफ)	डी (मार्केटिंग)	डी (एचआर)	सीवीओ
CMD	**D(BC)**	**D(OU)**	**D(R&D)**	**D(F)**	**D(MKTG)**	**D(HR)**	**CVO**